



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- नगर निगम, जयपुर ग्रेटर के राजस्व अधिकारी, आयोजना (द्वितीय) को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 26 मार्च। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर देहात इकाई द्वारा आज शुक्रवार को नगर निगम, जयपुर ग्रेटर मुख्यालय लालकोठी में कार्यवाही करते हुये राजस्व अधिकारी, आयोजना (द्वितीय) राहुल कुमार अग्रवाल को 30 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मकान का पट्टा जारी करने की एवज में नगर निगम, जयपुर ग्रेटर के राजस्व अधिकारी, आयोजना (द्वितीय) राहुल कुमार अग्रवाल द्वारा 50 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर देहात इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राहुल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल निवासी नारायणपुर रोड, बानसूर, जिला अलवर हाल निवासी 698, सूर्यनगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर हाल राजस्व अधिकारी, आयोजना (द्वितीय) नगर निगम, जयपुर ग्रेटर को परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कर्मियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।